

16.05.2022:-पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी गुरनायब सिंह जरिये अधिवक्ता श्री सन्तोष भाटी द्वारा पूर्व पेशी पर राजीनामे के साथ प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया की वादी का प्रतिवादीगण के साथ राजीनाम हो गया है। वादी व प्रतिवादी अधिवक्तागण को उक्त प्रार्थना-पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादी के फर्द अहकाम पर वादी गुरनायब सिंह व प्रतिवादी चेताराम के हस्ताक्षर करवाये गये। वादी की पहचान अधिवक्ता श्री सन्तोष भाटी द्वारा की गई व प्रतिवादी की पहचान श्री कैलाश धामू अधिवक्ता द्वारा की गई। उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया गया। अतः वादपात्र वादी मौजूदा सूरत में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी

नुमानगढ़